

कार्यालय, जिला शिक्ष एवं प्रशिक्षण संस्थान, तरार, दाउदनगर औरंगाबाद।

डी0एल0एड0 सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु आवश्यक सूचना


जिला शिक्ष एवं प्रशिक्षण संस्थान, तरार, दाउदनगर औरंगाबाद में दो वर्षीय डी0एल0एड0 कोर्स सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने नामांकन हेतु 01 जनवरी-2021 से पूर्व निर्धारित अहर्ता पूरी करते हैं, वे निम्नांकित प्रमाण पत्र/दस्तावेज के साथ दिनांक-11.10.21, 16.10.21 एवं 18.10.2021 को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। सभी योग्य अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दो स्वप्रमाणित छायाप्रति भी लाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद आपके दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची:-

1. आवेदन पत्र की छायाप्रति।
2. मैट्रिक/समकक्ष का मूल अंक पत्र।
3. मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र।
4. इंटरमीडिएट/समकक्ष का मूल अंक पत्र।
5. इंटरमीडिएट मूल प्रमाण पत्र।
6. विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग अथवा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (अतिआवश्यक)
7. C.B.S.E./I.C.S.E बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र।
8. आरक्षण कोटि के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन जाति प्रमाण पत्र।
9. EWS अभ्यर्थियों के लिए समक्ष पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन प्रमाण पत्र।
10. दिव्यांग प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए)
11. आधार कार्ड की छायाप्रति।
12. शपथ पत्र (नोटरी के द्वारा) जिसमें यह अंकित हो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है, इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में संस्थान मेरे विरुद्ध कानूनी कारवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। (शपथ पत्र प्रपत्र - संलग्न)
13. चिकित्सा प्रमाण पत्र (सरकारी डॉक्टर द्वारा)
14. नामांकन शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी नामांकन शुल्क के रूप में (General,BC,EBC) 11500/रु तथा (SC,ST,Handicapped) 7000/रु का भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड से ऑनलाइन SBI Collect के माध्यम से महाविद्यालय के वेबसाइट www.dietaurangabad.in पर प्रदर्शित निर्देशों के अनुसार करना होगा किसी अन्य माध्यम से नामांकन शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:-1. नामांकन के समय प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर आपका चयन रद्द करते हुए आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

2. नामांकन शुल्क कार्यालय में भुगतान होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।


प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
तरार, दाउदनगर औरंगाबाद